समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

समग्र शिक्षा माध्यमिक

राज्य परियोजना कार्यालय,

18 पार्क रोड लखनऊ–226001 दूरभाष 0522–3503894, 2239940
E-mail: rmsaup.spo@gmail.com

प्रेषक,

अपर राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा (माध्यमिक)
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला परियोजना अधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांकः–समग्र शिक्षा(मा0)/समर कैम्प/ 332-33 /2025–26 दिनांकः– 15.05.2025

विषयः–गीष्मावकाश में प्रदेश के समस्त राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों में समर कैम्प आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांकः समग्र शिक्षा (मा0)/समर कैम्प/268–69/2025–26 दिनांक 07 मई, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें ग्रीष्मावकाश के दौरान दिनांक 21 मई से 10 जून 2025 तक समस्त राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों में समर कैम्प आयोजन के विस्तृत दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये है।

2– उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों में गीष्मावकाश में समर कैम्प का आयोजन विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों की सहमति पर ही महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 07 मई 2025 में प्रदत्त निर्देशानुसार विद्यालय स्तर पर उपलब्ध भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत ऐच्छिक रूप से निर्णय लेकर किया जा सकता है तथा समर कैम्प आयोजन सम्बन्धी निर्णय की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक को भी उपलब्ध करायी जाये।

3– यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि स्वेच्छा से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में समर कैम्प आयोजन करने वाले विद्यालयों से सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं आवश्यक शिक्षकों को उपस्थित होने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात उन्हें नियमानुसार अवकाश प्रदान किया जाये।

4– समर कैम्प के आयोजन हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत है–

क्या करें

1 शिक्षकों एवं अभिभावकों की बैठक कर समर कैम्प के आयोजन हेतु वातावरण का सृजन कर लिया जाये।

2 विद्यालय में ग्रीष्मावकाश के समय स्वेच्छा से उपस्थित होने वाले प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों का नाम जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया जाये।

3 प्रधानाचार्य एवं विद्यालय में उपस्थित होने वाले राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को नियमानुसार उपार्जित अवकाश दिया जाये।

4 समर कैम्प में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से दिनांक 20 मई, 2025 से पूर्व लिखित सहमति अवश्य प्राप्त की जाये।

5 समर कैम्प में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु एन0सी0सी0, स्काउट गाइड स्वयं सेवी संगठनों एवं स्थानीय कलाकारों, खिलाड़ियों, साहित्यकारों आदि का सहयोग लिया जाये।

6 भीषण गर्मी के दृष्टिगत स्थानीय परिवेश के अनुसार समर कैम्प की समयावधि का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी द्वारा करा लिया जाये।

CS CamScanner

7 समर कैम्प का आयोजन पूर्व में प्रेषित पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट के अनुसार किया जाये।

8 यदि कोई विद्यार्थी अस्वस्थ होता है तो तत्काल चिकित्सीय सेवा उपलब्ध करायी जाये।

9 विद्यार्थियों हेतु समुचित स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाये।

क्या न करें

1 बिना अभिभावक की सहमति से विद्यार्थियों को न रोका जाये।

2 गतिविधि कराते समय सुरक्षा नियमों की अनदेखी न की जाये।

3 धूप में कोई भी प्रकार की गतिविधि न करायी जाये।

4 समर कैम्प गतिविधि के संचालन में विद्यार्थियों को तनाव न दें।

5 विद्यार्थियों के रचनात्मक कौशल को नजर अदाज न करें।

6 किसी भी गतिविधि में प्रतिभाग करने हेतु विद्यार्थियों को बाध्य न किया जाये।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

15/5/25

(विष्णु कान्ति पाण्डेय)
अपर राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: समग्र शिक्षा(मा0)/समर कैम्प/332-33/2025–26 तद्दिनांक।

<u>प्रतिलिपि</u>–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
3. शिक्षा निदेशक (मा0), उ0प्र0, लखनऊ।
4. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल।

15/5/25

(विष्णु कान्ति पाण्डेय)
अपर राज्य परियोजना निदेशक

CamScanner